



Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

© Govt. of Haryana Published by Authority

चण्डीगढ़, शनिवार, दिनांक 26 जून, 1999
(5 आषाढ, 1921 शक)

विधायी परिशिष्ट

पृष्ठ

क्रमांक	विषय वस्तु
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान
	अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 66/सवि./अनु. 309/99, दिनांक 26 मार्च, 1999, हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग विविध (गुप ख) सेवा नियम, 1999, कहे जाने बारे । (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग-IV	शुद्धि परिचय, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं

.. 2367--2456

हरियाणा सरकार

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मार्च, 1999

सं. सा.का.नि. 66/संवि/अनु.309/99.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग विविध (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

भाग-1 सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग विविध (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1999 कहे जा सकते हैं ।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान रोहतक ;
- (ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
- (घ) "संस्था" से अभिप्राय है, --

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ड) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, --

- (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय, या
 - (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या ढाका का विश्वविद्यालय ; या
 - (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
- (च) "चयन समिति" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा गठित चयन समिति ;
- (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग विविध (ग्रुप ख) सेवा ।

भाग-11 सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में उल्लिखित पद होंगे ;

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किये गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :--

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हों, या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीवार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड.) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, चयन समिति द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और ऐसे दो अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो निदेशक के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेगी ।

योग्यताएँ ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएँ और अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में चयन समिति के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे ।

आयोग्यतायें ।

8. कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी, --

(अ) आथोपिडिक्स सेवा, --

(क) हैड आकुपेशनल थेरापिस्टकी दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) आर्थोपिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) प्रोस्थेटिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) आकुपेशनल थेरापिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ड.) फिजियो थेरापिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(आ) रेडियोलोजी एवं रेडियोथैरापी सेवा, --

(क) फिजिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(इ) कान, नाक एवं गला रोग विभाग सेवा, --

(क) स्पीच थेरापिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ई) ग्लुकोज सेवा, --

(क) हैड ग्लुकोज मैनुफैक्चरिंग यूनिट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) चीफ एनालिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) चीफ फार्मासिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) मैनुफैक्चरिंग फार्मासिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे
किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(उ) किचन सेवा, --

(क) सीनियर डाईटिशियन की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे
किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) डाईटिशियन की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे
किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ऊ) मनोरोग सेवा, --

(क) एनालाईटिकल साईकोलोजिस्ट की दशा में, --

(i) क्लिनिकल साईकोलोजिस्ट में से पदोन्नति द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे
किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) क्लिनिकल साईकोलोजिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) साइकेट्रिक सोशल वर्कर की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ए) शिशु रोग सेवा, --

(क) चाइल्ड साइकोलोजिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(इ) नेत्र रोग सेवा, --

(क) ओप्टोमेटिस्ट-कम-ओप्टोमैटिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) रिफ्रेक्शनिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ओ) फार्माकोलोजी सेवा, --

(क) फार्मासिस्ट इन फार्माकालोजी की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(औ) सामाजिक एवं औषधीनिवारक सेवा, --

(क) स्टेटिसटिशियन की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(अं) न्यूक्लियर मैडीसन सेवा, --

(क) न्यूक्लियर मैडीसन स्पेशलिस्ट की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(अः) बायोकेमिस्ट्री सेवा, --

(क) बायोकेमिस्ट (बायोकेमिस्ट्री विभाग) की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) बायोकेमिस्ट (पेडियाट्रिक्स विभाग) की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) बायोकेमिस्ट (स्त्री रोग विभाग) की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(अअ) भण्डार सेवार्यें, --

(क) चीफ स्टोर आफिसर की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(आआ) मिनिस्ट्रियल सेवार्यें, --

(क) उप प्रशासकीय अधिकारी की दशा में, --

(i) सहायक प्रशासकीय अधिकारी से पदोन्नति द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) सहायक प्रशासकीय अधिकारी की दशा में, --

(i) राजपत्रित अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) अधीक्षक (राजपत्रित) की दशा में, --

(i) अंराजपत्रित अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(इइ) विविध सेवा, --

(क) सिस्टम एनालिस्ट की दशा में --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) बायोस्टेटिशियन की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) मैडिकल रिकार्ड आफिसर की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) प्रोग्रामर की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ड.) वार्डन गर्ल्ज होस्टल की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु, --

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह, --

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, --

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें,

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, --

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो, --

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसको नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो, --

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, अथवा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय, सरकार द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जाएगी :--

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संघर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार, और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर, किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने का दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिये प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि, निकाय, चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा में सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (i) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य, समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करें, तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

राज्य निष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये आपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. सेवा को लागू कोई नियम और इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई		
1	2	3	4	5	6
(अ)	आर्थोपेडिक्स सेवा :				रूपए
1.	हेड आकुपेशनल थैरापिस्ट	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. — 200-10500
2.	आर्थोपेडिक्स	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. — 200-10500
3.	प्रोस्थैटिस्ट	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. — 200-10500
4.	आकुपेशनल थैरापिस्ट	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. — 200-10500
5.	फिजियो थैरापिस्ट	--	3	3	6500-200-8500-द.रो. — 200-10500
(आ)	रेडियोलोजी एवं रेडियोथेपी सेवा फिजिस्ट	--	2	2	6500-200-8500-द.रो. — 200-10500
(इ)	कान, कान एवं गला रोग विभाग सेवा :				
	स्पीच थैरापिस्ट	1	1	2	6500-200-8500-द.रो. — 200-10500

1	2	3	4	5	6
(ई)	गलुकोज सेवा :				
	1. हेड गलुकोज मैनुफैक्चरिंग यूनिट	--	1	1	10000-325-15200
	2. चीफ एनालिस्ट	--	1	1	8000-275-10200-द.रो. - 275-13500
	3. चीफ फार्मासिस्ट	--	1	1	8000-275-10200-द.रो. - 275-13500
	4. मैनुफैक्चरिंग फार्मासिस्ट	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(उ)	किचन सेवा :				
	1. सीनियर डाइटिशियन	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
	2. डाइटिशियन	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(ऊ)	मनोरोग सेवा :				
	1. एनालाईटिकल साईकोलोजिस्ट	--	1	1	10000-325-13900
	2. क्लिनिकल साईकोलोजिस्ट	1	1	2	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
	3. साईकेट्रिक सोशल वर्कर	--	2	2	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(ए)	शिशु रोग सेवा :				
	चाईल्ड साईकोलोजिस्ट	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500

1	2	3	4	5	6
(ऐ)	नेत्र रोग सेवा :				
	1. आर्थोपेटिस्ट -कम-ओप्टो- मेटिस्ट -	--			6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
	2. रिफ्रैक्शनिस्ट	--			6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(उ)	फार्माकोलोजी सेवा :				
	फार्मासिस्ट इन फार्माकोलोजी		--		6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(ऊ)	सामाजिक एवं औषधी निवारक सेवा :				
	स्टेटिसिटिशियन	--			6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(अं)	न्यूक्लीयर मेडीसन सेवा :				
	न्यूक्लीयर मेडीसन स्पेशलिस्ट	--			6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(अः)	बायोकेमिस्ट्री सेवा :				
	1. बायोकेमिस्ट (बायोकेमिस्ट्री विभाग)		--		6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
	2. बायोकेमिस्ट (पैडियाट्रिक्स विभाग)	--			6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
	3. बायोकेमिस्ट (स्त्रीरोग विभाग)	--			6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(अअ)	भण्डार सेवा :				
	चीफ स्टोर आफिसर	--			6500-200-8500-द.रो. - 200-10500

1	2	3	4	5	6
(आआ) मिनिस्ट्रियल सेवा					
1.	उप प्रशासकीय अधिकारी	--	1	1	8000-275-10200-द.रो. - 275-13500
2.	सहायक प्रशासकीय अधिकारी	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
3.	अधीक्षक (राजपत्रित)	--	2	2	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
(इइ) विविध सेवा :					
1.	सिस्टम एनालिस्ट	--	1	1	8000-275-10200-द.रो. - 275-13500
2.	बायोस्टेटिशियन	1	--	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
3.	मैडीकल रिकार्ड आफिसर	1	--	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
4.	प्रोग्रामर	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500
5.	वार्डन गर्ल्ज होस्टल	--	1	1	6500-200-8500-द.रो. - 200-10500

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
-------------	-------	--	---

1

2

3

4

(अ) आर्थोपिडिक्स सेवा :

1. हैड आकुपेशनल थेरापिस्ट

- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आकुपेशनल थेरापी में डिप्लोमा ;
(ii) मैडीकल कालेज या पूर्णवास केन्द्र या आर्टि-फिशियल लिम्ब फिटिंग सेंटर या ख्याती प्राप्त सरकारी संस्था या अर्ध सरकारी या निगम में आकुपेशनल थेरापी में पांच वर्ष का अनुभव ;
(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

अधिमाननी योग्यताएं :

आकुपेशनल थेरापी में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।

(i) मान्यता प्राप्त संस्थान से आकुपेशनल थेरापी में डिप्लोमा ;

- (ii) मैडीकल कालेज या पूर्णवास केन्द्र या आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग या ख्याति प्राप्त सरकारी संस्था या अर्ध सरकारी निगम में आकुपेशनल थेरापी में पांच वर्ष का अनुभव ;
(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

अधिमाननी योग्यताएं :

आकुपेशनल थेरापी में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।

2. आर्थोपिडिस्ट

- (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्थोपिडिस्ट एवं प्रोस्थेटिक्स में डिप्लोमा ;

(i) मान्यता प्राप्त संस्था से आर्थोपिडिस्ट एवं प्रोस्थेटिक्स में डिप्लोमा ;

1

2

3

4

(ii) आर्टीफिशियल लिम्ब फिटिंग सैन्टर में आर्थो-पैडिक्स वर्कशाप की ख्याती प्राप्त संस्था, मैडीकल कालेज या निगम में दो वर्ष का अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :

आर्थोस्टिस्ट एवं प्रोस्थेटिक्स में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।

3. प्रोस्थेटिस्ट

(i) मान्यता प्राप्त संस्था से आर्थोस्टिस्ट एवं प्रोस्थेटिक्स में डिप्लोमा ;

(ii) आर्टीफिशियल लिम्ब फिटिंग सैन्टर में आर्थोपैडिक्स वर्कशाप की ख्याती प्राप्त संस्था मैडीकल कालेज या निगम में दो वर्ष का अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :

आर्थोस्टिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।

(ii) आर्टीफिशियल लिम्ब फिटिंग सैन्टर में आर्थोपैडिक्स वर्कशाप की ख्याती प्राप्त संस्था, मैडीकल कालेज या निगम में दो वर्ष का अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :

आर्थोस्टिस्ट एवं प्रोस्थेटिक्स में डिग्री रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा ।

(i) मान्यता प्राप्त संस्था से आर्थोस्टिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स में डिप्लोमा ;

(ii) आर्टीफिशियल लिम्ब फिटिंग सैन्टर में आर्थोपैडिक्स वर्कशाप की ख्याती प्राप्त संस्था मैडीकल कालेज या निगम में दो वर्ष का अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :

आर्थोस्टिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।

2

3

4

4. आकुपेशनल
थैरापिस्ट

(1) मान्यता प्राप्त संस्था से
आकुपेशनल थैरापिस्ट में
डिप्लोमा ;

(ii) मैडीकल कालेज या रिहैब्लि-
टेशन सैन्टर या आर्टिफिशियल
लिम्ब सैन्टर या ख्याती प्राप्त
सरकारी संस्था या अर्ध
सरकारी या निगम में
आकुपेशनल थैरापी में दो
वर्ष का अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :

आकुपेशनल थैरापी में डिग्री
रखने वाले उम्मीदवारों को
अधिमान दिया जायेगा ।

5. फिजियोथैरापिस्ट

(i) मान्यता प्राप्त संस्था में
फिजियोथैरापी में डिप्लोमा ;

(ii) मैडीकल कालेज या सरकारी
रिहैब्लिटेशन केन्द्र या अर्ध
सरकारी संस्था में फिजियो-
थैरापी विभाग में दो वर्ष का
अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

(1) मान्यता प्राप्त संस्था से
आकुपेशनल थैरापिस्ट में
डिप्लोमा ;

(ii) मैडीकल कालेज या रिहैब्लि-
टेशन सैन्टर या आर्टिफिशियल
लिम्ब सैन्टर या ख्याती प्राप्त
सरकारी संस्था या अर्ध
सरकारी या निगम में
आकुपेशनल थैरापी में दो
वर्ष का अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :

आकुपेशनल थैरापी में डिग्री
रखने वाले उम्मीदवारों को
अधिमान दिया जायेगा ।

(i) मान्यता प्राप्त संस्था में
फिजियोथैरापी में डिप्लोमा ;

(ii) मैडीकल कालेज या सरकारी
रिहैब्लिटेशन केन्द्र या अर्ध
सरकारी संस्था में फिजियो-
थैरापी विभाग में दो वर्ष का
अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

1	2	3	4
	अधिमानी योग्यताएं :	अधिमानी योग्यताएं :	
	फिजियोथैरापी में डिग्री रखने वाले उममीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।	फिजियोथैरापी में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।	
(आ) रेडियोलोजी एवं रेडियोथैरापी सेवा			
1. फिजिस्ट	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से रेडियोलोजीकल या मैडीकल फिजिक्स में एम.एस.सी.;	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से रेडियोलोजीकल या मैडीकल फिजिक्स में एम.एस.सी. ;	
	या	या	
	रेडियोलोजीकल फिजिक्स डिवीजन भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर, मुम्बई द्वारा संचलित रेडियोलोजी या मैडीकल फिजिक्स में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स सहित जनरल फिजिक्स में एम.एस.सी. या इसके समकक्ष ;	रेडियोलोजीकल फिजिक्स डिवीजन भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर, मुम्बई द्वारा संचलित रेडियोलोजी या मैडीकल फिजिक्स में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स सहित जनरल फिजिक्स में एम.एस.सी. या इसके समकक्ष ;	
	(11) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(11) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	

1

2

3

4

अधिमानी योग्यताएं :
रेडिएशन सफेटी आफिसर
के रूप में कार्यन्वित अनर्जी
रेगुलेटोरी बोर्ड भारत सरकार
के प्रमाण-पत्र ;

या

कम्प्यूटर साईंस में प्रमाण-
पत्र या डिप्लोमा (प्रोग्राम
और सॉफ्ट-वेयर डेवलपिंग
में अधिमान)

अधिमानी योग्यताएं :
रेडिएशन सेफटी आफिसर
के रूप में कार्यन्वित अनर्जी
रेगुलेटोरी बोर्ड भारत सरकार
से प्रमाण-पत्र ;

या

कम्प्यूटर साईंस में प्रमाण-
पत्र या डिप्लोमा (प्रोग्राम
और सॉफ्ट-वेयर डेवलपिंग
में अधिमान)

(इ) कान, नाक एवं गला
रोग सेवा :

1. स्पीच थैरापिस्ट

(1) स्पीच एवं हियरिंग में
बी.एस.सी. ;

या

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान
(आडियोलोजी और स्पीच
पैथोलोजी में बी.एस.सी. ;

(11) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :
स्पीच एवं हियरिंग में
एम.एस.सी. ;

या

आडियोलोजी और स्पीच
पैथोलोजी में एम.एस.सी.।

(1) स्पीच एवं हियरिंग में
बी.एस.सी. ;

या

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान
आडियोलोजी और स्पीच
पैथोलोजी में बी.एस.सी. ;

(11) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :
स्पीच एवं हियरिंग में
एम.एस.सी. ;

या

आडियोलोजी और स्पीच
पैथोलोजी में एम.एस.सी.।

1	2	3	4
(ई) गलुकोज सेवा :			
1. हेड गलुकोज मैनुफैक्चरिंग यूनिट	(i) फार्मसी या फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री में स्नातक ;	(i) फार्मसी या फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री में स्नातक ;	
	(ii) औषधी और प्रसाधन सामग्री नियम 1945, के अधीन अनुसूची ग तथा अनुसूची ग (i) में विनिर्दिष्ट लारज वाल्यूम पैटरनलज के निर्माण में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मैनुफैक्चरिंग कैमिस्ट के रूप में अनुमोदित;	(ii) औषधी और प्रसाधन सामग्री नियम 1945, के अधीन अनुसूची ग तथा अनुसूची ग (i) में विनिर्दिष्ट लारज वाल्यूम पैटरनलज के निर्माण में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मैनुफैक्चरिंग कैमिस्ट के रूप में अनुमोदित;	
	(iii) लारज वाल्यूम पैटरनलज के मैनुफैक्चरिंग या टेस्टिंग में पूर्णकालीन के आधार पर पांच वर्ष का अनुभव ;	(iii) लारज वाल्यूम पैटरनलज के मैनुफैक्चरिंग या टेस्टिंग में पूर्णकालीन के आधार पर पांच वर्ष का अनुभव ;	
	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	
2. चीफ एनालिस्ट	(i) फार्मसी या फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री में स्नातक ;	(i) फार्मसी या फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री में स्नातक ;	
	(ii) औषधी और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945, के अधीन अनुसूची ग तथा ग (i) में विनिर्दिष्ट लारज वाल्यूम पैटरनलज	(ii) औषधी और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन अनुसूची ग तथा अनुसूची ग(i) में विनिर्दिष्ट लारज वाल्यूम पैटरनलज	

1	2	3	4
	के निर्माण में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मैनू-फैक्चरिंग कैमिस्ट के रूप में अनुमोदित ;		के निर्माण में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मैनू-फैक्चरिंग कैमिस्ट के रूप में अनुमोदित ;
	(iii) मैडीकल कालेज एवं हस्पताल के मैनूफैक्चरिंग यूनिट या सरकारी टैस्टिंग लैब या फार्मा-स्यूटिकल इन्डस्ट्री या अच्छे स्तर की प्रयोगशाला में बड़े स्तर की वाल्यूम पैटरनलज टैस्टिंग एनालाईजिज का पूर्ण समय के लिए कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ;		(iii) मैडीकल कालेज एवं हस्पताल के मैनूफैक्चरिंग यूनिट या सरकारी टैस्टिंग लैब या फार्मा-स्यूटिकल इन्डस्ट्री या अच्छे स्तर की प्रयोगशाला में बड़े स्तर की वाल्यूम पैटरनलज टैस्टिंग एनालाईजिज का पूर्ण समय के लिए कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ;
	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
3. चीफ फार्मासिस्ट	(1) फार्मसी अथवा फार्मा-सियूटिकल कैमिस्ट्री में स्नातक ;		(1) फार्मसी अथवा फार्मा-सियूटिकल कैमिस्ट्री में स्नातक ;
	(11) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मैनूफैक्चरिंग के तौर पर लार्ज वाल्यूम पैटरनलज में औषधी और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ग तथा		(11) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मैनूफैक्चरिंग के तौर पर लार्ज वाल्यूम पैटरनलज में औषधी और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 अनुसूची ग तथा

1

2

3

4

अनुसूची ग(i) में विशेषा-
धिकृत हो ;

अनुसूची ग (1) में विशेषा-
धिकृत हो ;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त
मैडीकल कालेज हस्पताल
यूनिट या किसी ख्याति
प्राप्त फार्मास्यूटिकल
इण्डस्ट्री में पूर्णकालिक
आधार पर बड़े स्तर की
वाल्यूम पैटरनलज के
मैनुफैक्चरिंग में तीन
वर्ष का अनुभव ;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त
मैडिकल कालेज हस्पताल
यूनिट या किसी ख्याति
प्राप्त फार्मास्यूटिकल
इण्डस्ट्री में पूर्णकालिक
आधार पर बड़े स्तर की
वाल्यूम पैटरनलज के
मैनुफैक्चरिंग में तीन
वर्ष का अनुभव ;

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

4. मैनुफैक्चरिंग
फार्मासिस्ट

(1) फार्मसी में या फार्मा-
स्यूटिकल कैमिस्ट्री में
स्नातक ;

(1) फार्मसी में या फार्मा-
स्यूटिकल कैमिस्ट्री में
स्नातक ;

(ii) औषधी एवं प्रसाधन सामग्री
नियम, 1945, के अधीन
अनुसूची ग तथा ग (1)
में विनिर्दिष्ट लार्ज वाल्यूम
पैटरनलज के मैनुफैक्चरिंग
में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी
द्वारा मैनुफैक्चरिंग
कैमिस्ट के रूप में
अनुमोदित ;

(ii) औषधी और प्रसाधन सामग्री
नियम, 1945, के अधीन
अनुसूची ग तथा ग (1)
में विनिर्दिष्ट लार्ज वाल्यूम
पैटरनलज के मैनुफैक्चरिंग
में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी
द्वारा मैनुफैक्चरिंग
कैमिस्ट के रूप में
अनुमोदित ;

1

2

3

4

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यता :

अधिमानी योग्यता :

मान्यताप्राप्त मैडीकल कालेज
हस्पताल की यूनिट या फार्मा-
स्यूटिकल ख्यातिप्राप्त उद्योग
में लार्ज वाल्यूम पैटरनलज
मैनुफैक्चरिंग में पूरे समय के
लिए अनुभव रखने वाले
आवेदकों को अधिमान दिया
जायेगा ।

मान्यताप्राप्त मैडीकल कालेज
हस्पताल की यूनिट या फार्मा-
स्यूटिकल ख्यातिप्राप्त उद्योग
में लार्ज वाल्यूम पैटरनलज
मैनुफैक्चरिंग में पूरे समय के
लिए अनुभव रखने वाले
आवेदकों को अधिमान दिया
जायेगा ।

(उ) किचन सेवा :

1. सीनियर
डाईटिशियन

(i) साईंस या घरेलू साईंस
में स्नातक ;

(i) साईंस या घरेलू साईंस
में स्नातक ;

(ii) आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट
ऑफ हार्डजीन एण्ड
पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता
या किसी अन्य मान्यता-
प्राप्त संस्थान से डाई-
टिशियन में डिप्लोमा ;

(ii) आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट
ऑफ हार्डजीन एण्ड
पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता
या किसी अन्य मान्यता-
प्राप्त संस्थान से डाई-
टिशियन में डिप्लोमा ;

(iii) कम से कम 200 बिस्तर
वाले हस्पताल से या
कम से कम फोर स्टार
होटल से या ऐसे लोक
उद्यम से जिसमें कम से

(iii) कम से कम 200 बिस्तर
वाले हस्पताल से या
कम से कम फोर स्टार
होटल से या ऐसे लोक
उद्यम से जिसमें कम से

1	2	3	4
		कम 100 लोगों की खाना बनाने की सेवायें सहित किसी हस्पताल में डाईटिशियन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;	कम 100 लोगों की खाना बनाने की सेवायें सहित किसी अस्पताल में डाईटिशियन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
2. डाईटिशियन	(i) साईंस या घरेलू साईंस से स्नातक ;	(i) साईंस या घरेलू साईंस से स्नातक ;	(i) साईंस या घरेलू साईंस से स्नातक ;
	(ii) आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता या किसी अन्य मान्यता- प्राप्त संस्था से डाई- टिशियन में डिप्लोमा ;	(ii) आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता या किसी अन्य मान्यता- प्राप्त संस्था से डाई- टिशियन में डिप्लोमा ;	(ii) आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता या किसी अन्य मान्यता- प्राप्त संस्था से डाई- टिशियन में डिप्लोमा ;
	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
(ऊ) मनोरोग सेवा :			
1. एनालाईटिकल साईकोलोजिस्ट	--		पदोन्नति द्वारा — (i) मनोविज्ञान में पी.एच.डी; (ii) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर ; (iii) मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्लिनिकल साईकोलोजिस्ट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;

1

2

3

4

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(i) मनोविज्ञान में पी. एच. डी. ;

(ii) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर;

(iii) मनोविज्ञान के क्षेत्र में
क्लीनिकल साइकोलोजिस्ट
के रूप में पांच वर्ष का
अनुभव;

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

2. क्लीनिकल
साइकोलोजिस्ट

(i) मनोविज्ञान में एम. फिल. ;
या

मेडीकल और सामाजिक
मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर
दो वर्ष का डिप्लोमा
कोर्स ;

(ii) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर;
या
मनोविज्ञान में एम. एस. सी. ;

(iii) मनोरोग रिसर्च में एक
वर्ष का अनुभव ;

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

(i) मनोविज्ञान में एम. फिल. ;
या

मेडीकल और सामाजिक
मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर
दो वर्ष का डिप्लोमा
कोर्स ;

(ii) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर;
या
मनोविज्ञान में एम. एस. सी. ;

(iii) मनोरोग रिसर्च में एक
वर्ष का अनुभव ;

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

1	2	3	4
3. साईकेट्रिक सोशल वर्कर	(1) समाज शास्त्र या सामाजिक कार्यों में एम.फिल. ; या मनोविज्ञानिक सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।	(1) समाज शास्त्र या सामाजिक कार्यों में एम.फिल. ; या मनोविज्ञान सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ;	
	(11) समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर ;	(11) समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर ;	
	(111) सामाजिक कार्य या अनु- संधान में एक वर्ष का अनुभव ;	(111) सामाजिक कार्य या अनु- संधान में एक वर्ष का अनुभव ;	
	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	
(ए) शिशु रोग सेवा :			
1. चाईल्ड साईकालोजिस्ट	(1) मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से मैडीकल और सामाजिक मनोविज्ञान में दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स ;	(1) मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से मैडीकल और सामाजिक मनोविज्ञान में दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स ;	
	(11) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर ;	(11) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर ;	
	(111) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में चाईल्ड गाईडस क्लीनिक में दो वर्ष का अनुभव ;	(111) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में चाईल्ड गाईडस क्लीनिक में दो वर्ष का अनुभव ;	
	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	

1

2

3

4

अधिमानी योग्यताएं :

अधिमानी योग्यताएं :

मनोविज्ञान में पी.एच.डी.
करने वाले उम्मीदवारों को
अधिमान दिया जायेगा ।

मनोविज्ञान में पी.एच.डी.
करने वाले उम्मीदवारों को
अधिमान दिया जायेगा ।

(ए) नेत्ररोग सेवा :

1. आर्थोपटिस्ट-
कम-ओप्टो-
मेट्रिस्ट

(i) किसी मान्यता प्राप्त
संस्थान में दो वर्ष का
पैरा मेडीकल ओपथलमिक
असिस्टेन्ट सर्टीफिकेट
कोर्स ;

(1) किसी मान्यता प्राप्त
संस्थान से दो वर्ष का
पैरा मेडीकल ओपथलमिक
असिस्टेन्ट सर्टीफिकेट
कोर्स ;

या

या

आर्थोपटिस्ट-कम-ओप्टो-
मेट्रिस्ट में डिप्लोमा ;

आर्थोपटिस्ट-कम-ओप्टो-
मेट्रिस्ट में डिप्लोमा ;

(ii) साईंस सहित 10+2
या इसके समकक्ष ;

(11) साईंस सहित 10+2 या
इसके समकक्ष ;

(iii) मेडीकल कालेज के
ओपथलमिक विभाग में
या स्नातकोत्तर संस्थान
या मेडीकल कालेज की
मुबाईल यूनिट या 500
बिस्तर वाले हस्पताल के
संस्थान में ओपथलमिक
असिस्टेन्ट या आर्थोपटिस्ट-
कम-ओप्टोमेट्रिस्ट के
रूप में एक वर्ष का
अनुभव ;

(111) मेडिकल कालेज के
ओपथलमिक विभाग में
या स्नातकोत्तर संस्थान
या मेडीकल कालेज की
मुबाईल यूनिट या 500
बिस्तर वाले हस्पताल के
संस्थान में ओपथलमिक
असिस्टेन्ट या आर्थोपटिस्ट
कम-ओप्टोमेट्रिस्ट के
रूप में एक वर्ष का
अनुभव ;

1	2	3	4
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
2. रिफ्रेक्शनिस्ट	(i) ओपथलमोलोजी में स्नातकोत्तर डिग्री ; या ओपथलमोलोजी में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में 3 वर्ष का अनुभव या ओपथमोलोजी में डिप्लोमा;	(i) ओपथलमोलोजी में स्नातकोत्तर डिग्री ; या ओपथमोलोजी में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में 3 वर्ष का अनुभव या ओपथमोलोजी में डिप्लोमा;	(i) ओपथलमोलोजी में स्नातकोत्तर डिग्री ; या ओपथमोलोजी में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में 3 वर्ष का अनुभव या ओपथमोलोजी में डिप्लोमा;
	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
(ओ) फार्माकोलोजी सेवा :			
1. फार्मासिस्ट-इन-फार्माकोलोजी	(1) मास्टर इन फार्मसी ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(1) मास्टर इन फार्मसी ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(1) मास्टर इन फार्मसी ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
	अधिमानी योग्यताएं : किसी शैक्षणिक संस्था, ख्याति प्राप्त मेनुफैक्चरिंग कन्सर्न या शैक्षणिक फार्मसी चिकित्सालय में दवाईयां बनाने तथा उसके रख-रखाव में फार्मेटिकल में मास्टर इन फार्मसी ।	अधिमानी योग्यताएं : किसी शैक्षणिक संस्था, ख्याति प्राप्त मेनुफैक्चरिंग कन्सर्न या शैक्षणिक फार्मसी चिकित्सालय में दवाईयां बनाने तथा उसके रख-रखाव में फार्मेटिकल में मास्टर इन फार्मसी ।	अधिमानी योग्यताएं : किसी शैक्षणिक संस्था, ख्याति प्राप्त मेनुफैक्चरिंग कन्सर्न या शैक्षणिक फार्मसी चिकित्सालय में दवाईयां बनाने तथा उसके रख-रखाव में फार्मेटिकल में मास्टर इन फार्मसी ।
(ओ) सामाजिक एवं औषधी निवारक सेवा :			
1. स्टेटिशियन	(1) सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री ;	(1) सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री ;	(1) सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री ;

1

2

3

4

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 मास की अवधि का कम्प्यूटर में डिप्लोमा ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

अधिमान योग्यताएं :

अनुसन्धान या अध्यापन में एक वर्ष का अनुभव ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 मास की अवधि का कम्प्यूटर में डिप्लोमा ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

अधिमान योग्यताएं :

अनुसन्धान या अध्यापन में एक वर्ष का अनुभव ।

(अं) न्यूक्लीयर मेडीसन सेवा :

न्यूक्लीयर मेडीसन स्पेशलिस्ट

(i) डी. आर. एम. सहित एम. बी. बी. एस. ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

अधिमान योग्यताएं :

न्यूक्लीयर मेडीसन में एम. डी. या डिप्लोमेट एट नेशनल बोर्ड रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।

(i) डी. आर. एम. सहित एम. बी. बी. एस. ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

अधिमान योग्यताएं :

न्यूक्लीयर मेडीसन में एम. डी. या डिप्लोमेट एट नेशनल बोर्ड रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा ।

(अं:) बायोकेमिस्ट्री सेवा :

1. बायोकेमिस्ट्री (बायोकेमिस्ट्री विभाग)

(i) बायोकेमिस्ट्री में एम. एस. सी. ;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त मेडीकल कालेज या हस्पताल में दो वर्ष

(i) बायोकेमिस्ट्री में एम. एस. सी. ;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त मेडीकल कालेज या हस्पताल में दो वर्ष

1

2

3

4

का अध्यापन या
अनुसंधान में अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमान योग्यताएं :

बायोकेमिस्ट्री में पी.एच.डी.
करने वाले उम्मीदवारों को
अधिमान दिया जायेगा ।

2. बायोकेमिस्ट
(पैडियाट्रिक्स
विभाग)

(i) बायोकेमिस्ट्री में
एम.एस.सी. ;
(ii) किसी मान्यता प्राप्त
मेडीकल कालेज या
हस्पताल में दो वर्ष का
अध्यापन या अनुसन्धान
अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमान योग्यताएं :

बायोकेमिस्ट्री में पी.एच.डी.
करने वाले उम्मीदवारों को
अधिमान दिया जायेगा ।

3. बायोकेमिस्ट
(स्त्रीरोग विभाग)

(i) बायोकेमिस्ट्री में
एम.एस.सी. ;

का अध्यापन या
अनुसंधान में अनुभव ,

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमान योग्यताएं :

बायोकेमिस्ट्री में पी.एच.डी.
करने वाले उम्मीदवारों को
अधिमान दिया जायेगा ।

(i) बायोकेमिस्ट्री में
एम.एस.सी. ;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त
मेडीकल कालेज या
हस्पताल में दो वर्ष का
अध्यापन या अनुसन्धान
अनुभव ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमान योग्यताएं :

बायोकेमिस्ट्री में पी.एच.डी.
करने वाले उम्मीदवारों को
अधिमान दिया जायेगा ।

(1) बायोकेमिस्ट्री में
एम.एस.सी. ;

1	2	3	4
---	---	---	---

(11) किसी मान्यता प्राप्त
मेडीकल कालेज या
हस्पताल में दो वर्ष
का अध्यापन या
अनुसन्धान अनुभव ;

(111) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :

बायोकेमिस्ट्री में पी.एच.डी.
करने वाले उम्मीदवार को
अधिमान दिया जायेगा ।

(11) किसी मान्यता प्राप्त
मेडीकल कालेज या
हस्पताल में दो वर्ष
का अध्यापन या
अनुसन्धान अनुभव ;

(111) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

अधिमानी योग्यताएं :

बायोकेमिस्ट्री में पी.एच.डी.
करने वाले उम्मीदवार को
अधिमान दिया जायेगा ।

(अ) भण्डार सेवा :

1. चीफ स्टोर
आफिसर

(1) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से आर्ट्स
या साईंस या कामर्स या
इन्जीनियरिंग में स्नातक
या इसके समकक्ष योग्यता ;

(11) किसी मान्यता प्राप्त
संस्थान से मैटोरियल
मैनेजमेंट में डिप्लोमा ;

(111) सरकारी या अर्ध सरकारी
विभाग या ख्याति
प्राप्त संगठन के भण्डार
का निरीक्षण का कम से

(1) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से आर्ट्स
या साईंस या कामर्स
इन्जीनियरिंग में स्नातक
या इसके समकक्ष योग्यता ;

(11) किसी मान्यता प्राप्त
संस्थान से मैटोरियल
मैनेजमेंट में डिप्लोमा ;

(111) सरकारी या अर्ध सरकारी
विभाग या ख्याति
प्राप्त संगठन के भण्डार
का निरीक्षण का कम से

1	2	3	4
		<p>कम 10 वर्ष का अनुभव; उच्चतर शिक्षा रखने वाले उम्मीदवारों को छूट दी जायेगी ।</p>	<p>कम 10 वर्ष का अनुभव; उच्चतर शिक्षा रखने वाले उम्मीदवारों का छूट दी जायेगी ।</p>
		<p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>	<p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>
		<p>अधिमानी योग्यताएं : मेडीकल कालिज के भण्डार के हैन्डलिंग या निरीक्षक का अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा ।</p>	<p>अधिमानी योग्यताएं : मेडीकल कालेज के भण्डार के हैन्डलिंग या निरीक्षक का अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा ।</p>
			<p>पदोन्नति द्वारा : सहायक प्रशासकीय अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;</p>
			<p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :</p>
			<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक ;</p>
			<p>(11) विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या ख्याति प्राप्त अनुसन्धान या सरकारी विभाग में काम करने का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें अधीक्षक के रूप</p>

(आआ) मिनिस्ट्रियल सेवा :

1. उप-प्रशासकीय
अधिकारी

--

1

2

3

4

में निरीक्षक की हैसियत
में 5 वर्ष की सेवा होनी
चाहिए या इसके समकक्ष;
(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी
का ज्ञान ।

2. सहायक प्रशासकीय
अधिकारी

--

पदोन्नति द्वारा :

(1) अधीक्षक राजपत्रित के रूप
में 3 वर्ष का अनुभव ;

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से स्नातक;
(ii) विश्वविद्यालय या शैक्षणिक
संस्थान या ख्याति प्राप्त
अनुसन्धान या सरकारी
विभाग में अधीक्षक के रूप
में काम करने का तीन
वर्ष का अनुभव ;

3. अधीक्षक (राजपत्रित)

--

पदोन्नति द्वारा :

(1) अधीक्षक अराजपत्रित के
रूप में दो वर्ष का अनुभव;

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

- (1) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से स्नातक;

1.	2	3	4
			(ii) विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या ख्याति प्राप्त अनुसन्धान या सरकारी विभाग में अधीक्षक अराजपत्रित के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;
			(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
(इइ) विविध सेवा :			
1. सिस्टम एनालिस्ट	(1) कम्प्यूटर साईंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. ; या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम एक कम्प्यूटर भाषा में प्रशिक्षण सहित फिजिक्स या कैमिस्ट्री या गणित या सांख्यिकी या कार्य अनुसन्धान में एम.ए. या एम.एस.सी. या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. ;	(1) कम्प्यूटर साईंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. ; या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम एक कम्प्यूटर भाषा में प्रशिक्षण सहित फिजिक्स या कैमिस्ट्री या गणित या सांख्यिकी या कार्य अनुसन्धान में एम.ए. या एम.एस.सी. या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. ;	
	(11) मान्यता प्राप्त संस्थान में डाटा प्रक्रिया में दो वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव;	(11) मान्यता प्राप्त संस्थान में डाटा प्रक्रिया में दो वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव;	

1	2	3	4
		(11) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(11) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
2. बायोस्टेटिशियन	(1) सांख्याकी में स्नातकोत्तर डिग्री ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायो-स्टेटिशियन ;	(1) सांख्याकी स्नातकोत्तर डिग्री ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायो-स्टेटिशियन ;	(1) सांख्याकी स्नातकोत्तर डिग्री ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायो-स्टेटिशियन ;
	(11) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में डिप्लोमा ;	(11) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में डिप्लोमा ;	(11) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में डिप्लोमा ;
	(111) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(111) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(111) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
3. मेडीकल रिकार्ड आफिसर	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी एक विषय सहित अर्थशास्त्र या गणित या कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री या सांख्याकी में स्नातकोत्तर डिग्री ;	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी एक विषय सहित अर्थशास्त्र या गणित या कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री या सांख्याकी में स्नातकोत्तर डिग्री ;	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी एक विषय सहित अर्थशास्त्र या गणित या कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री या सांख्याकी में स्नातकोत्तर डिग्री ;
	(11) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में या विश्व-विद्यालय से मेडीकल रिकार्ड में डिप्लोमा ;	(11) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में या विश्व-विद्यालय से मेडीकल रिकार्ड में डिप्लोमा ;	(11) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में या विश्व-विद्यालय से मेडीकल रिकार्ड में डिप्लोमा ;

1	2	3	4
		(iii) किसी सरकारी हस्पताल या मान्यता प्राप्त मैडीकल संस्थान में मैडीकल रिकार्ड अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या सांख्यिक सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव या मैडीकल रिकार्ड टेक्नीशियन के रूप में 15 वर्ष का अनुभव ;	(iii) किसी सरकारी हस्पताल या मान्यता प्राप्त मैडीकल संस्थान में मैडीकल रिकार्ड अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या सांख्यिक सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव या मैडीकल रिकार्ड टेक्नीशियन के रूप में 15 वर्ष का अनुभव ;
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
4. प्रोग्रामर	(1) कम्प्यूटर साईंस या इलैक्ट्रॉनिकस में बी.ई. ; या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक कम्प्यूटर भाषा में प्रशिक्षण सहित फिजिक्स या कैमिस्ट्री या गणित या सांख्यिकी या कार्य अनुसन्धान में एम.ए. या एम.एस.सी. ;	(1) कम्प्यूटर साईंस या इलैक्ट्रॉनिकस में बी.ई. ; या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक कम्प्यूटर भाषा में प्रशिक्षण सहित फिजिक्स या कैमिस्ट्री या गणित या सांख्यिकी या कार्य अनुसन्धान में एम.ए. या एम.एस.सी. ;	(1) कम्प्यूटर साईंस या इलैक्ट्रॉनिकस में बी.ई. ; या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक कम्प्यूटर भाषा में प्रशिक्षण सहित फिजिक्स या कैमिस्ट्री या गणित या सांख्यिकी या कार्य अनुसन्धान में एम.ए. या एम.एस.सी. ;
	(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा प्रक्रिया में एक वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव ;	(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा प्रक्रिया में एक वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव ;	(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा प्रक्रिया में एक वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव ;

1	2	3	4
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
5. वार्डन, गर्ल्स होस्टल	(i) किसी बड़े हस्पताल में अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव सहित स्नातकोत्तर ;	(i) किसी बड़े हस्पताल में अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर ;	
	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	

परिशिष्ट-ब

[(देखिये नियम 14 (1))]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
(अ)	आर्थोपेडिक्स सेवा	सरकार	छोटी शास्तियां :	सरकार	
(1)	हैड आकुपेशनल थेरापिस्ट		(1) च्यैक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर रखते हुये चेतावनी;		
(2)	आर्थीटिस्ट		(ii) परिनिन्दा;		
(3)	प्रोस्थैटिस्ट		(iii) पदोन्नति रोकना;		
(4)	आकुपेशनल थेरापिस्ट		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली :		
(5)	फिजियो थेरापिस्ट				
(आ)	रेडियोलोजी एवं रेडियोथेरापी				
(1)	फिजिस्ट				
(इ)	कान, नाक एवं गला रोग विभाग सेवा				
(1)	स्पीच थेरापिस्ट				
(ई)	ग्लूकोज सेवा				
(1)	हैड ग्लूकोज मैनुफैक्चरिंग युनिट				

1	2	3	4	5	6
(2)	चीफ एनालिस्ट				
(3)	चीफ फार्मासिस्ट		(v)	संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;	
(4)	मैनुफैक्चरिंग फार्मासिस्ट			बड़ी शक्तियां :	
(उ)	किचन सेवा		(vi)	संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना,	
(1)	सीनियर डाईटिशियन		(vii)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समय मान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों	
(2)	डाईटिशियन			सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;	
(ऊ)	मनोरोग सेवा :				
(1)	एनालाईटिकल साईकोलोजिस्ट				
(2)	साईकेट्रिक सोशल वर्कर				
(3)	क्लीनिकल साईकोलोजिस्ट				
(ए)	शिशुरोग सेवा				
(1)	चाईल्ड साइकोलोजिस्ट				
(इ)	नेत्र रोग सेवा				
(1)	आर्थोपेडिस्ट - कम-ओन्टोमेटिस्ट		(viii)	निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिये साधारणतया रोक होगी, ऐसी जिस ग्रेड पर अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों	
(2)	रिफ्रैशनिस्ट				
(ओ)	फार्माकोलोजी सेवा				
(1)	फार्मासिस्ट इन फार्माकोलोजी				
(ओ)	सामाजिक एवं औषधि निवारक सेवा				
(1)	स्टेटिसिटिशियन				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| (अं) न्यूक्लीयर मैडीसन सेवा | | | सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ | | |
| (1) न्यूक्लीयर मैडीसन
स्पेशलिस्ट | | | या उसके बिना होगा । | | |
| (अः) बायोकेमिस्ट्री सेवा : | | | (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति; - - | | |
| (1) बायोकेमिस्ट्री
(बायोकेमिस्ट्री विभाग) | | | (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के | | |
| (2) बायोकेमिस्ट
(बैपैडियाटिक्स विभाग) | | | अधीन भावी नियोजन के लिये | | |
| (3) बायोकेमिस्ट
(स्त्रीरोग विभाग) | | | निर्हरता नहीं होगी; | | |
| (अअ) भण्डार सेवा | | | (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के | | |
| (1) चीफ स्टोर आफिसर | | | अधीन भावी नियोजन के लिये | | |
| (आआ) मिनिस्ट्रियल सेवा : | | | समान्यतः निर्हरता होगी । | | |
| (1) उप-प्रशासकीय अधिकारी | | | | | |
| (2) सहायक प्रशासकीय
अधिकारी | | | | | |
| (3) अधीक्षक राजपत्रित | | | | | |
| (इइ) विविध सेवा | | | | | |
| (1) सिस्टम एनालिस्ट | | | | | |
| (2) बायोस्टेटिशियन | | | | | |
| (3) मैडीकल रिकार्ड आफिसर | | | | | |
| (4) प्रोग्रामर | | | | | |
| (5) वार्डन गर्ल्ज होस्टल | | | | | |
-

परिशिष्ट-घ

[(देखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त अधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
(अ)	आर्थोपेडिक्स सेवा :	(1) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सरकार	—
(1)	हैड आकुपेशनल थैरापिस्ट			
(2)	आर्थोपेडिस्ट			
(3)	प्रोस्थेटिस्ट	(11) उसकी अधिवर्षियता के लिए		
(4)	आकुपेशनल थैरापिस्ट	नियत आयु के होने से अन्यथा		
(5)	फिजियो थैरापिस्ट	नियुक्ति की समाप्ति ।		
(आ)	रेडियोलोजी एवं रेडियाथैरापी सेवा			
	फिजिस्ट			
(इ)	कान, नाक, एवं गला रोग विभाग सेवा			
	स्पीच थैरापिस्ट			
(ई)	ग्लूकोज सेवा			
(1)	हैड ग्लूकोज मैनुफैक्चरिंग युनिट			
(2)	चीफ एनालिस्ट			
(3)	चीफ फार्मासिस्ट			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- (4) मैनूफैक्चरिंग फार्मासिस्ट
- (उ) किचन सेवा :
- (1) सीनियर डाइटिशियन
- (2) डाइटिशियन
- (ऊ) मनोरोग सेवा :
- (1) एनालाईटिकल साईकोलोजिस्ट
- (2) साईकेट्रिक सोशल वर्कर
- (3) क्लिनिकल साईकोलोजिस्ट
- (ए.) शिशुरोग सेवा
- (1) चार्ड्ड साईकोलोजिस्ट
- (ऐ) नेत्ररोग सेवा
- (1) आर्थीपेटिस्ट - कम - ओपटोमेटिस्ट
- (2) रिफ्रेक्शनिस्ट
- (ओ) फार्माकोलोजी सेवा :
- (1) फार्मासिस्ट इन - फार्माकोलोजी
- (ओ) सामाजिक एवं औषधी निवारक सेवा
- (1) स्टेटिसिटिशियन
- (अं) न्युक्लीयर मैडीसन सेवा
- (1) न्युक्लीयर मैडीसन स्पेशलिस्ट
- (अं:) बायोकेमिस्ट्री सेवा :
- (1) बायोकेमिस्ट (बायोकेमिस्ट्री विभाग)

1 2 3 4 5

(2) बायोकेमिस्ट (पैडियाट्रिक्स विभाग)

(3) बायोकेमिस्ट (स्त्रीरोग विभाग)

(अअ) भण्डार सेवा :

(1) चीफ स्टोर आफिसर

(आआ)मिनिस्ट्रियल सेवा

(1) उप-प्रशासकीय अधिकारी

(2) सहायक प्रशासकीय अधिकारी

(3) अधीक्षक (राजपत्रित)

(इइ) विविध सेवा :

(1) सिस्टम एनालिस्ट

(2) बायोस्टेटिशियन

(3) मैडीकल रिकार्ड आफिसर

(4) प्रोग्रामर

(5) वार्डन गर्ल्ज होस्टल

कोमल आनन्द,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ।